

उत्तर प्रदेश बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, उत्तर प्रदेश ने राज्य को संभावित **बाढ़** से बचाने के लिये व्यापक तैयारियाँ शुरू की हैं।

- उन्होंने अधिकारियों को एक **मज़बूत बाढ़ प्रबंधन योजना** बनाने का निर्देश दिया है, जिसमें स्थानीय नविसधियों और **पशुओं** को सुरक्षित क्षेत्रों में शीघ्र स्थानांतरित करने पर ज़ोर दिया गया है।

मुख्य बडि:

- राज्य प्रशासन ने उत्तर प्रदेश को **तीन बाढ़ प्रबंधन क्षेत्रों** में विभाजित किया है: **29 अत्यधिक संवेदनशील ज़िले**, **11 संवेदनशील ज़िले** और **35 सामान्य ज़िले**।
 - **सिंचाई, कृषि और पशुपालन** विभागों के अधिकारियों की टीम इन क्षेत्रों पर कड़ी नगरानी रख रही है।
- तैयारी बढ़ाने के लिये सात **राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF)** टीमों, 18 **राज्य आपदा मोचन बल (SDRF)** टीमों और 17 **प्रांतीय सशस्त्र बल (PAC)** टीमों रणनीतिक रूप से तैनात की गई हैं।
 - राज्य सरकार ने आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिये 400 प्रतबिद्ध व्यक्तियों को '**आपदा मतिर**' तथा 10,500 स्वयंसेवकों को तैयार किया है।
 - इसके अलावा, तैयारियों को बढ़ाने के लिये सभी ज़िलों को वसितुत बाढ़ तैयारी मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (National Disaster Response Force- NDRF)

- यह **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** के तहत गठित एक भारतीय विशेष बल है।
- भारत में आपदाओं के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिये केंद्र सरकार में '**नोडल मंत्रालय**' गृह मंत्रालय (MHA) है।
- यह प्रशिक्षित पेशेवर इकाइयों को संदर्भित करता है जिन्हें आपदाओं के लिये विशेष प्रतिक्रिया हेतु बुलाया जाता है।

आपदा मतिर योजना

- **परिचय:**
 - यह एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है जिसमें मई 2016 में शुरू किया गया था। **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।
 - यह आपदा-प्रवण क्षेत्रों में उपयुक्त व्यक्तियों की पहचान करने की एक योजना है, जिसमें आपदाओं के समय प्रथम आपदा मतिर अर्थात् बचाव कार्यों के लिये प्रशिक्षित किया जा सकता है।
- **उद्देश्य:**
 - योजना के तहत **समुदाय के स्वयंसेवकों को आपदा के बाद अपने समुदाय की तत्काल आवश्यकताओं को ध्यान के रखते हुए आवश्यक कौशल प्रदान करना** जिससे वे आकस्मिक बाढ़ और शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थितियों के दौरान बुनियादी राहत एवं बचाव कार्य करने में सक्षम हो सकें।

